

# कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र.

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website- [www.datiamedicalcollege.com](http://www.datiamedicalcollege.com)

E mail Id- [datiamedicalcollege@gmail.com](mailto:datiamedicalcollege@gmail.com) &

[datiamedicalcollege2018@gmail.com](mailto:datiamedicalcollege2018@gmail.com)

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक 7524/स्था./राज/द.चि.म./2024

दतिया, दिनांक- 28/08/2024

## // विज्ञप्ति सूचना //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-2-06/2018/1-55, दिनांक 07/04/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के अधीन निम्नलिखित आकरिमक चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा पूर्ति हेतु भर्ती किया जाना है, इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 25/09/2024 शाम -5 : 00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 25/09/2024 साय: 5 :00 तक अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की वेबसाइट [www.datiamedicalcollege.com](http://www.datiamedicalcollege.com) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, म.प्र. में जमा कराये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में "आकरिमक चिकित्सा अधिकारी" हेतु आवेदन और आरक्षित श्रेणी.....का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में से पात्र अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।

  
28/08/24

मुख्य कार्यापालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
दतिया (म.प्र.)।

# कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया ;म.प्र.

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website- [www.datiamedicalcollege.com](http://www.datiamedicalcollege.com)

E mail Id- [datiamedicalcollege@gmail.com](mailto:datiamedicalcollege@gmail.com) &

[datiamedicalcollege2018@gmail.com](mailto:datiamedicalcollege2018@gmail.com)

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक - 7523/स्था./राज/द.चि.म./2024

दतिया, दिनांक- 28/08/2024

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-2-06/2018/1-55, दिनांक 07/04/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के अधीन निम्नलिखित आकरिमक चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा पूर्ति हेतु भर्ती किया जाना है, इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 25/09/2024 शाम -5 : 00 बजे तक आमंत्रित किए जाने हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	पदनाम	कुल रिक्त पद	श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या			
			UR	OBC	ST	SC
1	आकरिमक चिकित्सा अधिकारी	02	00	00	02 (बैकलॉग पद)	00

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC - अनुसूचित जाति, ST - अनुसूचित जनजाति, OBC - अन्य पिछड़ा वर्ग, B- बैकलॉग वर्ग के लिए उम्मीदवार पद आरक्षित है।

पदनाम, पदों की संख्या, वेतनमान, न्यूनतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु संबंधी विवरण:-

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड ग्रेड - पे	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6	7
01	आकरिमक चिकित्सा अधिकारी	02	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे के समकक्ष सातवाँ वेतनमान	25 वर्ष	एम.सी.आई / एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान से स्नातक एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष

शर्त:-

- पदों की संख्या अधिक / कम की जा सकती है।
- सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- आरक्षित पद का लाभ म.प्र. के मूल निवासी को ही रहेगा।
- आयु की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
- आवेदन नि:शुल्क रहेगे।

6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
7. जाति प्रमाण -पत्र आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
8. आवेदक पूर्व में जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था के सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयनित होने की स्थिति में त्यागपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय समय पर सौंपे गये प्रशासनिक कार्य एवं अन्य दायित्वों का निर्वाहन करना होगा।
10. आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय -समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
11. चयनित चिकित्सा अधिकारियों से आकस्मिक चिकित्सा विभाग एवं पोस्टमार्टम के कार्य के साथ समय-समय पर अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त कार्य (प्रशासकीय/अस्पताल से संबंधित) लिया जा सकेगा।
12. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएँ।
13. आपकी वरिष्ठता संस्था के वरिष्ठता क्रमानुसार रहेगी।
14. राजनैतिक तथा किसी भी अवैधानिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
15. आवेदक का चयन होने पर उससे 65 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवा देनी होगी। आवेदक को इस बावत सम्यक रूप स्टांपित एक बॉण्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
16. 03 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि/बाण्ड अवधि पूर्ण होने के पश्चात, आपकी सेवायें किसी भी समय महाविद्यालय अथवा आपके द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उस एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।
17. यह नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी संस्था आपनी सेवा शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेंगी।
18. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
19. चयनित चिकित्सक का एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एम.टी/ नीट यू.जी प्रवेश परीक्षा एवं एम.डी. /एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री पी.जी. /नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा से संबंधित भर्ती घोटाले/फर्जीवाड़े में किसी भी स्तर पर आपकी सलिप्तता पाई जाती है अथवा आपके विरुद्ध कार्यवाही लंबित/प्रचलन में पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी, और ऐसी स्थिति में आपको आर्हणित किया हुआ वेतन एवं अन्य भत्ते 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से शासकीय कोष में जमा कराई जावेगी।
20. उक्त विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि होने पर सुधार का अधिकार संस्था के पास रहेगा।

#### निरहताएँ -

1. विकृत चित्र वाला होने पर।
2. दुष्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हों।
4. नियुक्ति के लिए प्रयास /अनुषंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की साहयता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास /अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जाएगा।
5. विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

7. कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो।
8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध हुआ हो।
9. **स्वास्थ्य संबंधी** – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।  
उपरोक्त सूची में उल्लेखित पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर की जाएगी।
10. उक्त नियुक्तियां म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन होगी।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25/09/2024 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।  
उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. वेबसाइट [www.datiamedicalcollege.com](http://www.datiamedicalcollege.com) पर उपलब्ध है।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहर्ताएँ और शर्तें को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अहर्ता की जाँच स्वयं कर लें और अहर्ता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

  
28/09/24  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यालय अधिकारी  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
दतिया (म.प्र.)।

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)**

100 रूपये के स्टाम्प पर नोटराइज

// घोषणा - पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जॉच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचारधीन है।
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विरुद्ध एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एम.टी./नीट यू.जी. प्रवेश परीक्षा एवं एम.डी/एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री पी.जी./नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा से संबंधित भर्ती घोटाले/फर्जीवाडें में किसी भी स्तर पर कार्यावाही लंबित/प्रचलन में नहीं है।
5. मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज सत्य एवं सही है, नियुक्ति पश्चात् शिकायत आने पर या सत्यापन किये जाने पर कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य अथवा फर्जी कूटरचित पाया गया तो बिना किसी कारण पद से पृथक किया जायेगा और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने कार्यवाही की जायेगी।
6. यह कि दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जीवित संतान की संख्या 02 से अधिक नहीं है।

स्थान .....

दिनांक .....


आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

# कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

## आवेदन का प्रारूप

.....के पद हेतु आवेदन पत्र (अंतिम तिथि 25 /09 /2024)



नोट:- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जाए।

1. आवेदक का पूरा नाम (उपनाम सहित).....
2. पुरुष / महिला.....
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड .....
5. मोबाइल न..... ई.मेल आई.डी. ....
6. जन्म तिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)..... / ..... / ..... /
7. दिनांक 25 /09 /2024 को आयु:- वर्ष.....माह.....दिन.....
8. विवाह का दिनांक.....
9. वर्ग:- अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.).....  
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।
10. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक, नाम तथा दिनांक .....
11. शैक्षणिक योग्यता:- (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (कृपया आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर